Mail

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./नियमन/बी-6/नियम-2009/171/1269 भोपाल,दिनांक 13/05/2022

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय .....(समस्त)

2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति .....(समस्त)

विषयः-कपास पर मण्डी फीस .50 पैसे के संबंध मे।

संदर्भः-मान. मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक/1306 दिनांक 06/04/2022 एवं सहपत्र

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेगे। मान. मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से मान. मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण विभाग का पत्र के साथ सेंधवा काटॅन एसोसिएशन का पत्र दिनांक 12/03/2022 संलग्न किया गया है जिसमे 50 पैसे प्रति सैकडा करने के संबंध मे लेख किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

कृपया आपके संभाग अंतर्गत संबंधित सचिवो से कपास पर मण्डी फीस कम करने के संबंध मे स्पष्ट अभिमत सहित अनुशंसा प्रस्ताव एक सप्ताह मे मण्डी बोर्ड, मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।.

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

(अपर संचालक महोदय के अनुमोदन से)

12/5/2022
संयुक्त संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

**कमल पटेल**
मंत्री
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश
एवं
प्रभारी मंत्री - जिला खरगोन, छिंदवाड़ा

**कार्यालय :** कक्ष क्र. बी-205, द्वितीय तल,
वल्लभ भवन क्र.-2, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष : 0755-2708041

**निवास :** बी-10, चार इमली, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष एवं फैक्स : 0755-2760188, 2765511
ई-मेल : agrimin2020@gmail.com

क्रमाँक : 1306 /मंत्री/कि.क.कृ.वि./2021

भोपाल, दिनाँक 06/04/2022

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. MD/HMA/08 दि. 07/4/2022
शाखा Add (नियमन)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल।

मान मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग जी, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, पर्यावरण विभाग का पत्र संलग्न है, अवलोकन करें। जिसमें सेंधवा कॉटन एसोसिएशन के ज्ञापन अनुसार मंडी टेक्स के संबंध में अनुरोध किया गया पत्र एवं ज्ञापन की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न पत्र के संबंध में नियामनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करते हुये अवगत कराया जावें।

(कमल पटेल)

JD(L) 91
28/4/22

ADD(A) - 2972
27/4/22

संदीप जी
29.04.

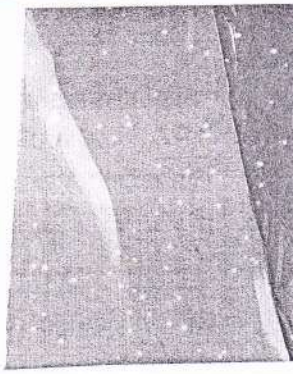

दीप सिंह डंग
मंत्री
म.प्र. शासन
नवीन एवं नवकरणीय
ऊर्जा, पर्यावरण विभाग

मंत्रालय - कक्ष क्रं. बी-216, एनेक्सी-II
निवास : बी-8, सिविल लाईन, भोपाल
दूरभाष, मंत्रालय : 0755-2708044
निवास : 2660650, 2660554

पत्र क्र. 1267 /मंत्री/न.नव. ऊर्जा, पर्या./2022
भोपाल, दिनांक 19/03/2022

प्रति,

माननीय मंत्री जी,
म0प्र0 शासन,
किसान कल्याण एवं कृषि विकास

058(AC)

विषयः— मंडी टेक्स के संबंध में।

—

मेरे प्रभार जिला बड़वानी के सेंधवा कॉटन एसोसिएशन द्वारा प्राप्त ज्ञापन मूलतः संलग्न है।

कृपया नियमानुसार कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न—ज्ञापन।

(हरदीप सिंह डंग)

श्री महालक्ष्मी नमः

# SENDHWA COTTON ASSOSIATION

Sendhwa Dist :- Barwani - 451666 (M.P.)


अध्यक्ष
गोविन्द फुलचंद गोयल
गोयल कॉटन - ९८२६२२७११८

सचिव
गोरव तायल
महेश जिन्निंग - ९४२५० ८८८५३

उपाध्यक्ष
अनुरुध सोनी
सोनी जिन्निंग - ९४२५९१९१९१

उपाध्यक्ष
अजय अग्रवाल
रत्ना कॉट फाइबर - ९८२६६ ४८१६९

कोषाध्यक्ष
दिनेश तायल
कोशल्या फाइबर - ९४२५०८७४०


दिनांक :- 12/08/2022

श्रीमान

प्रभारी मंत्री महोदय,
भारतीय जनता पार्टी
मध्य प्रदेश

विषय :- मंडी टेक्स के संबंध बाबद !

अपरंच निवेदन है की मध्य प्रदेश मे अन्य प्रातों के मुकाबलें में पिछले 10 वर्षो में कपास का व्यापार काफि कम हो गया है जिससे मध्य प्रदेश के व्यापारी एंव मध्य प्रदेश राजस्व का नुकसान हो रहा है। म.प्र. में मंडी शुल्क 1.50 पैसे प्रति सैकड़ा एवं 20 पैसे प्रति सैकड़ा निराश्रित शुल्क है इस प्रकार कुल शुल्क 1.70 प्रति सैकड़ा है म.प्र. में कपास की 70% उपज निमाड़ अंचल में होती है निमाड़ अंचल महाराष्ट्र एवं गुजरात की सीमा में लगा हुआ है !

महाराष्ट्र एवं गुजरात में मंडी शुल्क 25 पैसे प्रति सैकड़ा से 50 पैसे प्रति सैकड़ा है इस प्रकार मधयप्रदेश में उससे लगे प्रान्त महाराष्ट्र एवं गुजरात की तुलना में मंडी टेक्स 1.25 पैसे से 1.45 पैसे प्रति सैकड़ा ज्यादा है । इस प्रकार कपास म.प्र में न आकर माल म.प्र. से लगे प्रान्त महाराष्ट्र और गुजरात तोला जा रहा है । इसके अलावा म.प्र. में पैदा होने वाला कपास मंडी टेक्स की दर अधिक होने के कारण म.प्र से लगे प्रान्त महाराष्ट्र एवं गुजरात में कपास अधिक मात्रा में इन प्रान्तों में जा रहा है ! इस वजह से म.प्र. के व्यापारी , कृषक और मंडी का राजस्व सभी का नुकसान हो रहा है ।इस मंडी शुल्क के नुकसान के अलावा मध्य प्रदेश के जी एस टी का भी नुकसान हो रहा हैं। तथा इसी वजह से मध्य प्रदेश से काफि संख्या मे मजदूरों का भी पलायन हो रहा है।

सो म.प्र. के राजस्व कृषक एवं म.प्र के व्यापारी के नुकसान को देखते हुए मंडी शुल्क .50 पैसे प्रति सैकड़ा एवं निराश्रित हटाने की कृपा करे !

सविनय
प्रति :-

सेंधवा कॉटन एसोसिएशन

अध्यक्ष